

न्यायालय-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर(म0प्र0)
{समक्ष-साजिद मोहम्मद}

व्यवहारवार क्रमांक-05बी/2017

संस्थित दिनांक-11.08.2017

Filling no. RCSB/310/2017

सुफैर खान पुत्र सत्तार खान, उम्र-55 साल, व्यवसाय-चंदेरी साडी क्रय विक्रय, निवासी बाहर शहर चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) <div style="text-align: right;">.....वादी</div>
विरुद्ध
रामदस पुत्र घनश्याम कुशवाह, निवासी मलयाणा मौहल्ला बिहारी मंदिर के पास प्राणपुर तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) <div style="text-align: right;">.....प्रतिवादी</div>

वादी द्वारा :- श्री तनवीर अहमद जाफरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी :- एक पक्षीय।

----- / / निर्णय / / -----

{आज दिनांक:- 22.01.2018 को घोषित किया गया}

01- यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादी से मूलधन 4451/-रु. एवं वाद व्यय सूचना पत्र का व्यय एवं उस पर नियमानुसार क्षतिधन दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी चंदेरी साडी का कच्चा मटेरियल लेकर बुनकरों को देकर साडी बनवाता है तथा उसकी मजदूरी उन्हें देता है वह क्रय विक्रय करता है। प्रतिवादी रामदास वादी से कच्चा मटेरियल लेकर साडी बुनता था तथा वह चंदेरी साडी बनाने के लिये 12 नग साडी बनाने का मटेरियल लेकर गया जिसमें से उसने 10 नग बनाये जिसकी मजदूरी 29100/-रुपये हुयी थी जिसमें से 26240/-रुपये मजदूरी के उसने प्रतिवादी को दे दिये तथा 2860/-रुपये शेष देना था। प्रतिवादी को 1869/-रुपये का मटेरियल नगद हाथ उधार लिये तथा 4542/-रुपये एवं 900/- रुपये के कपडे उधार खरीदे थे। इस प्रकार से प्रतिवादी से कुल 7311/- रुपये वादी को लेना था जिसमें से प्रतिवादी की 2860/- रुपये मजदूरी कम कर दिये जाते है तब शेष राशि 4451/- रुपये वादी को प्रतिवादी से लेना है जिसका पर्चा संलग्न है।

03— प्रतिवादी से जब कच्चे मटेरियल एवं पैसों की मांग की तब कहने लगा कि हम देगे तथा आप अपने खाते में चडा लो एवं काफी समय से पैसा नही दिया। वादी ने पैसे की मांग की तो झगडा करने लगा तथा कहने लगा कि हमें तुम्हारा कोई पैसा नही देना तथा घर मांगने आओगे तो तुम्हारी रिपोर्ट कर देगे तथा वादी ने अपने अभिभाषक द्वारा मांग सूचना पत्र प्रेषित करवाया तथा वादी का सूचना पत्र प्राप्त होने पर भी उसका उत्तर भी नही दिया। प्रतिवादी के उक्त कृत्य से यह प्रकट है कि वह वादी का पैसा हडपना चाहता है अतः यह वाद प्रतिवादी से मूलधन 4451/—रु. एवं वाद व्यय सूचना पत्र का व्यय एवं उस पर नियमानुसार क्षतिधन दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

04— प्रतिवादी पर सूचना की तामीली उपरांत भी अनुपस्थित होने के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रेषित की गयी है।

05— प्रकरण के न्याय संगत निराकरण हेतु निम्न विन्दु विचारणीय है :—

1. क्या वादी प्रतिवादी से 4451/—रु. प्राप्त करने का हकदार है ?
2. सहायता एवं व्यय।

विचारणीय विन्दु कं. 01

06— वादी सुफेर खान ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में व्यक्त किया कि प्रतिवादी रामदास उनके यहां कारीगर था एवं वह उनसे कच्चा मटेरियल लेकर साडी बुनता था इसी क्रम में रामदास चंदेरी साडी बनाने के लिये 12 नग साडी बनाने का मटेरियल लेकर गया जिनमें से 10 नग बनाये जिनकी मजदूरी 29100/—रुपये हुई जिसमें से 26240/—रुपये रामदास को दिये थे तथा 2860/—रुपये रामदास को वादी के देना थे। इसके अतिरिक्त रामदास के द्वारा वादी से सामान व नगदी लेनदेन किया वह 1869/—रुपये का मटेरियल तथा नगद उधार लिये। 4542/—रुपये एवं 900/—रुपये के कपडे उधार लिये थे इस तरह प्रतिवादी पर कुल 7311/—रुपय वादी का लेना निकलता है जिनमें से 2860/—रुपये प्रतिवादी की मजदूरी के कम करने पर शेष राशि 4451/—रुपये प्रतिवादी से लेना निकल रहा है वादी ने अपने दावे के समर्थन में रोजनामचा सान्हे में रामदास के द्वारा लेने देन का पर्चा प्र पी 1 प्रस्तुत किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रजिस्टर्ड ए. डी. प्रपी-2 एवं प्रपी-3, डाक से भेजे गये सूचना पत्र की रसीद प्रपी-4 एवं प्रपी-5 तथा सूचना पत्र प्रपी-6 प्रस्तुत किया।

07— वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादी को प्रतिवादी से सम्पूर्ण हिसाब के उपरांत 4451/—रुपये लेना शेष है। प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उक्त साक्ष्य अखण्डनीय रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के इस संबंध में किये गये कथनों का समर्थन प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से भी होता है। ऐसी स्थिति में वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वादी को प्रतिवादी से 4451/—रुपये शेष लेना है।

विचारणीय प्रश्न कं. 02

08— उपरोक्त विवेचना से वादी यह अधिसंभावनाओं की प्रबलता के परिपेक्ष्य में प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वह प्रतिवादी रामदास से 4451/—रुपये प्राप्त करने का हकदार है। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती हैं :—

1. प्रतिवादी रामदास कुशवाह वादी सुफेर खान को 4451/—रुपये अदा करे ।
2. प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद व्यय वहन किया जावेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, जो भी कम हो वाद व्यय जोड़ा जावे।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर(म0प्र0)